परियोजना-14

पाण्डुलिपियों, चित्रों तथा अन्य पुरातात्विक व अभिलेखागार के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कृतियों के संरक्षण हेतु परियोजना

(सरकार के पत्र संख्याः भाषा-क(3)10/80, दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा अनुमोदित)

1 भूमिका :

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ग्रामों में अभी भी ऐसी बहुत सी अमूल्य पाण्डुलिपियां व कृतियां हैं जो यहां के वासियों के पास पड़ी हैं और समय की चपेट में नष्ट होती जा रही हैं । उनके संरक्षण हेतु यह योजना बनाई जा रही है ।

2 उद्देश्य :

1 पुरातात्विक तथा अभिलेखागार के महत्व की कृतियों का संरक्षण ।
2 ऐसी कृतियों का प्रलेखन करना ।
3 इन कृतियों की प्रतिलिपि राज्य अभिलेखागार में सुरक्षित रखना ।

3 प्रक्रिया :

1 जानकारी हासिल होने पर सम्बन्धित व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित किया जाना ।
2 कृति की मूल प्रति को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना ।
3 कृति को अभिलेखागार में लेने के लिए 250/- रुपये तक का बयाना देने में सहायक निदेशक (रिकार्ड) सक्षम होंगे, 500/- रुपये तक का बयाना देने में निदेशक, भाषा एवं संस्कृति तथा 1,000/- रुपये तक का बयाना देने में सचिव, भाषा एवं संस्कृति सक्षम होंगे ।
4 इस कृति को विभाग द्वारा नियुक्त कला क्रय समिति के सम्मुख रखा जायेगा और जो मूल्य वह तय करेगी वह मूल्य कृति के स्वामी को दिया जायेगा ।
5 कृति का स्वामी यदि इसे बेचना न चाहे तो इसकी एक माईक्रोफिल्म अथवा फोटोस्टेट कापी अभिलेखागार में रखी जाएगी । इस पर सारा व्यय विभाग वहन करेगा ।
6 यदि कोई स्वामी, अपनी पाण्डुलिपि बचाये रखने के लिए विभाग से कोई संरक्षण चाहे तो विभाग हर प्रकार की संरक्षण सुविधा, उसे प्रदान करेगा परन्तु उसकी एक माईक्रोफिल्म अथवा फोटोस्टेट कापी अभिलेखागार में रखी जायेगी ।